भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 32

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया)

एनसीएलटी में मामलों का लंबन

32. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को छोटी चूक के लिए भी बिल्डरों के खिलाफ घर खरीददारों द्वारा दर्ज किए जा रहे मामलों की उच्च संख्या के कारण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में लंबन की समस्या के बारे में पता है;
(ख) यदि हां, तो एक माह से कम अवधि की चूकों हेतु बिल्डरों के खिलाफ एनसीएलटी में जून, 2018 के बाद से दर्ज मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में घर खरीददारों की स्थिति की समीक्षा करने या इन मामलों में चूक की परिभाषा को संशोधित करने की योजना बनाई है, ताकि छोटी चूक के लिए एनसीएलटी में बिल्डरों के खिलाफ दर्ज किए गए दिवालिया मामलों की संख्या को कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या मंत्रालय के पास एनसीएलटी के बोझ को कम करने के लिए कोई अन्य योजना है ताकि उनके काम-काज को सुधारा जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) से प्राप्त सूचना के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के अंतर्गत जून, 2018 से भवन निर्माताओं के विरूद्ध खरीदारों द्वारा दायर किये गए कुल 1821 मामले 30.09.2019 तक एनसीएलटी के समक्ष लंबित थे। एक माह से कम अवधि की चूकों के लिए भवन निर्माताओं के विरूद्ध दायर किये गए मामलों से संबंधित डाटा एनसीएलटी के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग): जी, हां। मामला इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

(घ): सरकार द्वारा एनसीएलटी के कार्यभार को कम करने के लिए पीठों की संख्या, न्यायालयों की संख्या और सदस्यों की संख्या के अध्यधीन एनसीएलटी को सुदृढ़ करने के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, जयपुर, कटक, कोच्चि, इंदौर और अमरावती में पांच नई पीठों की घोषणा की गई है। सरकार ने, हाल ही में एनसीएलटी में 28 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति भी की है तथा एनसीएलटी में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति की जा रही है। सदस्यों की क्षमता निर्माण हेतु नियमित औपचारिक वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है, एनआईसी द्वारा एनसीएलटी की सभी पीठों के लिए ई-न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

****